


पक्षा ही  14/10/2024

14/10/2024

पत्राकली पक्षा दुई। ब.कु. उप। ब.कु. पुनी जा
पुनी र्ण/पुनी वकील की ओर ठथन रहे
छे विवादिन आराजी खलरा नम्बर
448/0.0400 हक्के. गौ. मु. पाए बाके नाम 

तारीख
हुक्म

तखनपुर में स्थित है। श्र-पबंध विभाग द्वारा
हल खसरा नं. 456 की सीमा को खसरा
नम्बर 449 में बढ़ाया गया है तथा
449 रकबा की धारण हेतु ख. नं. 449
की सीमा को खसरा नम्बर 448 में
बढ़ा दिया है। और खसरा नम्बर 448
की नाप को 0.04 लेयर का डिपा गया
है। श्र: श्रीमानजी से निवेदन है कि प्राचीन-
पत्र सीमा का खसरा नम्बर 448 के
नाप एवं नक्शे को सन्त 2028 से पूर्व मुहारा
शुद्ध करने के आदेश पदान करें।

हमने सदलीलदा नदबई को रिपोर्ट
हेतु नदरीर जारी की। तथा नदबई रिपोर्ट
प्राप्त की।

हमने बहल को पुनः उपलब्ध रिकॉर्ड
का अवलोकन किया तो पाया कि वाही द्वारा
पुस्तक प्राचीन-पत्र में अन्य खसरा नम्बरान
के खानेदारान को मुकुलमा पशुकार नहीं
बनाया गया है। प्राचीन द्वारा प्राचीन-पत्र
अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत
पेश किया है। जो राबस्थान कुशुकरा आदि
के तहत विवादित आराजी पर रिलीफ
पाहने बाबत उक्त संज्ञक प्रतीत नहीं
होगा है। श्र: प्राचीन का प्राचीन-पत्र विह
न होने के कारण खारिज किया
जाता है।

पत्रावली कुलका कुमार होठ
नम्बर से इस डिपा जाऊँ साहित्य कपूर
को

सपखण्ड अधिकारी
नदबई (मरतपुर)

5/12/20